झारखण्ड महिला समाख्या सोसाईटी

समूह से फेडरेशन की ओर एक यात्रा

महिला समाख्या एक परिचय

महिला समाख्या भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा संचालित महिला शिक्षा एवं सशक्तिकरण हेतु चलाये जानेवाला एक अनोखा कार्यक्रम है। इसकी शुरूआत सन् 1988 में हुई। इसे 1986 के नये राश्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु शुरू किया गया। महिला समाख्या का शाब्दिक अर्थ निम्न है।

महिला – महिला (Women)

समाख्या – सम + आख्या

सम – समान (Equal)

आख्या – आँकना (Value)

अर्थात् महिलाओं को समान रूप से आँकना। महिलाओं को ऐसी शिक्षा देना कि वे पुरूशों से कहीं कम न दिखे एवं लिंग संबंधी भेद–भाव को दूर करना।

यह कार्यक्रम मुख्यतः महिला शिक्षा एवं सशक्तिकरण पर आधारित है। महिला समाख्या महिलाओं से संबंधी लगभग सभी मुद्दों पर कार्य करती हैं जिसे छः वर्गों में रखा गया है। जो निम्नलिखित हैं:–

1) शिक्षा,
2) स्वास्थ्य,
3) कानूनी शिक्षा,
4) आर्थिक सशक्तिकरण,
5) स्थानीय प्रशासन में महिलाओं की सहभागिता/पंचायती राज्य,
6) फेडरेशन।

यह कार्यक्रम मुख्यतः सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े महिलाओं के लिए है।

महिला समाख्या कार्यक्रम की नये क्षेत्र में शुरूआत

महिला समाख्या कार्यक्रम की शुरूआत ऐसे क्षेत्रों में किया जाता है। जहाँ महिला साक्षरता की दर सबसे कम हो तथा महिलायें आर्थिक एवं सामाजिक रूप से अत्यंत पिछड़ी हो। इसी आधार पर राज्य, जिला, प्रखण्ड, पंचायत, ग्राम का चुनाव किया जाता है।

राज्य का चुनावः

महिला समाख्या राश्ट्रीय कार्यालय द्वारा वर्तमान पंचवर्शीय योजना दस्तावेज के निर्देशानुसार महिला साक्षरता दर एवं महिलाओं की स्थिति के आधार पर नये राज्यों का चुनाव किया जाता है। सबसे कम महिला साक्षरता दर वाले क्षेत्रों में इस कार्यक्रम की शुरूआत की जाती है। वर्तमान में यह कार्यक्रम भारत के 11 राज्यों में संचालित है। सबसे पहले एक कार्यकारिणी समिति का गठन किया जाता है। फिर एक नियमावली (बाइलावज) तैयार किया जाता है, जिसका पंजीकरण सोसाईटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1960 के अन्तर्गत किया जाता है।

पंजीकरण के बाद वह एक अलग स्वतंत्र इकाई के रूप में कार्य करने लगती है। फिर इस पंजीकृत सोसाईटी को भारत सरकार द्वारा महिला समाख्या कार्यक्रम के संचालन हेतु बजट के अनुसार राशि उपलब्ध करायी जाती है। निर्धारित बजट को कार्यकारिणी समिति के बैठक में अनुमोदित कराना पड़ता है। इस बैठक में राज्य के मानव संसाधन विकास विभाग के सचिव, एन. आर.जी. सदस्य एवं महिला समाख्या राश्ट्रीय कार्यालय के प्रतिनिधि उपस्थित रहते हैं। इस बैठक की अध्यक्षता मानव संसाधन विकास विभाग के सचिव द्वारा की जाती है।

नये जिलों का चुनाव

नये जिलों का चुनाव राज्य कार्यालय द्वारा महिलाओं की स्थिति तथा उनकी साक्षरता दर के आधार पर वर्तमान पंचवर्शीय योजना के निर्देशानुसार किया जाता है। वर्तमान में झारखण्ड के 11 जिलों में महिला समाख्या कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। नये जिलों के चुनाव के भी कार्यकारिणी समिति के बैठक में अनुमोदन कराना पड़ता है।

नये प्रखण्ड का चुनाव

नये प्रखण्ड का चुनाव राज्य तथा जिला कार्यालय द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। इसे भी महिलाओं की स्थिति तथा साक्षरता दर के आधार पर किया जाता है। इस कार्य में जिला प्रशासन का भी सहयोग लिया जाता है। चयनित प्रखण्ड को भी कार्यकारिणी समिति से अनुमोदन लेना पड़ता है।

पंचायत का चुनाव

नये पंचायत का चुनाव जिला कार्यालय द्वारा किये गये सर्वेक्षण के आधार पर किया जाता है। इसके चुनाव में जिला कार्यालय के क्षेत्र कर्मियों की मुख्य भूमिका होती है। इसमें स्थानीय प्रखण्ड कार्यालय के पदाधिकारी का भी सहयोग लिया जाता है।

ग्राम का चुनाव

नये ग्राम का चुनाव भी पंचायत के चुनाव जैसा ही होता है। इसमें ग्राम स्तर पर कार्य करने वाली क्षेत्र के कर्मियों की मुख्य भूमिका होती है।

क्षेत्र में होनेवाले कार्यों की जिम्मेवारी

क्षेत्र में होनेवाले कार्यों की जिम्मेवारी मुख्य रूप से साधनसेवी तथा सहयोगिनियों का होता है, जो सभी स्तर पर निम्नलिखित होती है।

ग्राम स्तरीय – सहयोगिनी

संकुल स्तरीय – संकुल साधनसेवी

प्रखण्ड स्तरीय – कनीय (जुनियर) साधनसेवी (प्रखण्ड समन्वयक)

जिला स्तरीय – जिला साधनसेवी

राज्य स्तरीय – राज्य साधनसेवी/परामर्शी

समूह से फेडरेशन तक का रास्ता

प्रथम चरणः– सम्बन्ध बनानाः सम्पर्क स्थापित करना

↓

द्वितीय चरण :– छोटे समूह का निर्माण

↓

तृतीय चरण :– समूह/संघ की मजबूती

↓

चतुर्थ चरणः– स्वतंत्र समूह/संघ (फेडरेशन)

महिला समाख्या एक प्रक्रिया आधारित कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम की सफलता के लिए समय निर्धारित करना मुश्किल है।

शुरूआत में उन्हें अपने बारे में बोलने के लिए प्रोत्साहिक किया जाता है। धीरे–धीरे वे अपनी बात निसंकोच कहने लगती है और उन्हीं की बातों को महिला समाख्या के मुद्दों से जोड़कर चर्चा की जाती है। इस तरह से उनकी जिन्दगी को छः मुद्दों से जोड़ते हुए उन्हीं के माध्यम से समाधान भी निकाला जाता है। महिलाओं में धीरे–धीरे अपने अस्तित्व की पहचान, आत्मविश्वास एवं संगठित काम करने की प्रेरणा जाग जाती है। जब वे स्वयं शिक्षा, स्वास्थ्य, हिंसा जैसे मुद्दों से लड़ने को तैयार हो जाती है, इसी समय बचत की आवश्यकता को जोड़ते हुए महिलाओं के बीच बताया जाता है। फिर महिलायें बचत करने का निर्णय लेती है। ये सारी चर्चा सहयोगिनी करती है, परन्तु सहभागिता सभी की होती है।

प्रथम चरण

सम्बन्ध बनानाः सम्पर्क स्थापित करना

- गृह भ्रमण से शुरूआत कर सहयोगिनी को गाँव के विभिन्न वर्गों के महिलाओं को एक साथ लाने में सफलता मिलती है।
- कुछ समय के लिए ये महिलाऐं सहयोगिनी के गांव भ्रमण के समय छोटे–छोटे समूहों में मिलेगी।

- इस चरण के दौरान गाँव को कार्यक्रम की जानकारी देती है तथा महिलओं को गाँव के मुद्दों तथा समस्याओं को सूचिबद्ध करने तथा उसपर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करती है।
- इस स्थिति में सहयोगिनी को उनकी चिन्ताओं, समस्याओं एवं मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना पड़ता है। भले ही वह उस वक्त उन समस्याओं का समाधान बताने में सक्षम न हो।
- सहयोगिनी बाद के भ्रमण में जो भी जानकारी चाहिए वह प्राप्त करती है।

द्वितीय चरण

छोटे समूह का निर्माण

- जैसे–जैसे सहयोगिनी महिलाओं का विश्वास प्राप्त करती हैं और महिलाओं की जिज्ञासा और रूचि बढ़ते जाती है तब महिलाऐं सहयोगिनी के प्रत्येक भ्रमण पर छोटे समूह में बैठना ुरू कर देती है।
- ुरू में बैठक नियमित हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन धीरे–धीरे छिटपुट बैठक उनकी स्थिर भागीदारी के साथ नियमित बैठक का रूप लेने लगता है।
- यहाँ तक पहुँचने हेतु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से महिलाओं को एक उत्प्रेरक कारक या विशय की आवश्यकता पड़ती है।
- इससे नियमित बैठक और स्थायी सदस्यों के साथ कमोवेश एक स्थिर समूह निर्माण की अगुआई करता है।
- यह समूह को बल देती है; इस अवस्था में समूह का नामकरण भी कर दिया जाता है।
- इस अवस्था में महिलायें दो या दो से अधिक महिलाओं को समूह का अगुआ (सखी) चून सकती है।
- इस स्थिति में समूह सहयोगिनी की सहायता से किसी समस्या के विरूद्ध कदम उठा सकती है। जिसमें किसी अधिकारी के साथ बैठक या किसी कार्यालय तक जाकर कोई आवेदन डालने की प्रक्रिया ाामिल हो सकती है।
- क्योंकि अभी समूह उत्पति की अवस्था में है इसलिए किसी को मुद्दों को पहचानने एवं प्राथमिकता देने की प्रक्रिया में किसी की नेतृत्व की आवश्यकता पड़ेगी।
- जब समूह मजबूत हो तभी ऐसे मुद्दों को उठाना चाहिए जो गाँव के सत्ताधारियों से आमने–सामने मुकाबला करना पड़े।

- समूह में एकता की भावना को बढ़ा देने हेतु ऐसे मुद्दों को उठाना चाहिए जो तुलनात्मक रूप से कम विवादास्पद हो और जिससे नवनिर्मित समूह पर कम दबाव पड़े।
- धीरे–धीरे समूह की गतिशीलता बढ़ेगी और महिलायें विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यशालाओं में भाग लेने की इच्छा व्यक्त करेगी।
- महिलाओं की ओर से जानकारी और समर्थन की गाँव धीरे–धीरे बढ़ती जायगी और सहयोगिनी की भूमिका नये समूह की मजबूती हेतू महत्वपूर्ण होता जायेगा।

तृतीय चरण

समूह/संघ की मजबूती

- पिछले चरण में उठाये गये छोटे–छोटे कदमों से प्राप्त आत्मविश्वास समूह के भरोसे को बढ़ायेगी।
- जैसे–जैसे समूह में नये मुद्दों पर चर्चा होती है और समूह द्वारा उठाये गये कदमों का क्षेत्र विस्तार होता है तब महिलाओं में आत्मविश्वास जानकारी एवं कौशल बढ़ता जाता है।
- बैठक में भागीदारी नियमित हो जाती है और समूह का आकार बढ़ता जाता है।
- महिलायें महिने के किसी खास तिथि को सहयोगिनी के साथ या उसके बगैर स्वयं बैठक करने लगती है।
- समूह के पास अपना कार्य सूचि (Agenda) होता है जो और अधिक स्पष्ट एवं परिभाषित होता है जो कि परिभाशित होता है जो कि सहयोगिनी से जानकारी एवं सहयोग की मांग पर केन्द्रित होता है।
- समूह खुद विभिन्न मुद्दों पर समाज एवं पदाधिकारीयों से पूरे आत्मविश्वास से बात–चीत करती है।
- समूह महिलाओं की स्थिति पर चिन्तन करने लगती है और ऐसे सामाजिक कार्य जो महिलाओं के विरूद्ध है उसे बदलने हेतु समाज को प्रभावित करने का प्रयास करती है।
- 4–5 महिलाओं का एक कोर टीम निर्मित होता है या अगुआ (सखी) के रूप में चून लिया जाता है।
- समूह के अगुआ(सखी) और अधिक जिम्मेदारीयाँ लेने लगते हैं। और सहयोगिनी के साथ स्वतंत्र रूप से काम करना ुरू कर देते हैं।

➢ इस अवस्था के सहयोगिनी की भूमिका निदेशात्मक से बदलकर समूह को अधिक विश्लेशनात्मक बनाने जेण्डर के वृहत रूप में समस्याओं को ढुँढने, समूह को अधिक–से–अधिक जानकारी देना और जितना सम्भव हो सके उतनी निपुणता/हुनर समूह को देना है।

चतुर्थ चरण

स्वतंत्र समूह/संघ (फेडरेशन)

➢ इस अवस्था में समूह को हर जरूरी जानकारी, हुनर और संसाधनों तक स्वयं पहुँच बनाने में सक्षम होना चाहिए।

➢ समूह के अगुआ (सखी) समूह को अपने कार्यसूची (Agenda) तय करने में एक मार्गदर्शक एवं समर्थनकर्ता के रूप में सहयोगिनी की भूमिका निभाते हैं।

➢ हम उम्मीद करते हैं कि समूह के अगुआ के अलावे समूह के अधिक–से–अधिक महिला आत्मविश्वासी बने तथा अपने विचार को दूसरों के सामने रखने में सक्षम बने।

➢ समूह समाज में अपना एक स्थान बना लेती है और गांव के विकास एवं सामाजिक मूल्यों को सक्रिय रूप से प्रभावित करने लगती है।

➢ और कार्यक्रम धीरे–धीरे सलाहकर्त्ता की भूमिका में आ जाते हैं। इस अवस्था में फेज आउट के लिए मंच तैयार हो जाता है।

महिला समाख्या तथा अन्य स्वयं सहायता समूह में अन्तर

महिला समाख्या समूह	स्वयं सहायता समूह
1. महिला समाख्या मुद्दा आधारित कार्यक्रम है। यह महिला संबंधी अनेक मुद्दों पर खर्च करती है।	1. स्वयं सहायता समूह बचत पर आधारित कार्यक्रम है।
2. इसमें सिर्फ महिलायें ही ाामिल है।	2. इसमें पुरूश भी ाामिल हो सकते हैं।
3. यह जीवनोपयोगी अनेक मुद्दों पर कार्य करती है।	3. यह सिर्फ आर्थिक सशक्तिकरण पर कार्य करती है।
4. स्मूह का दीर्घकालीन उद्देश्य होता है।	4. स्वयं सहायता समूह का उद्देश्य अल्पकालीन होता है।
5. महिला समूह का मुख्य उद्देश्य महिलाओं का पूर्ण सशक्तिकरण करना है।	5. इसके द्वारा सिर्फ आर्थिक सशक्तिकरण प्राप्त की जा सकती है।
6. महिला समाख्या शिक्षा विभाग का कार्यक्रम है।	6. स्वयं सहायता समूह गैर–सरकारी तथा सरकारी दोनो से जुड़ा है।

फेडरेशन का निर्माण

फेडरेशन अंग्रेजी भाषा का एक शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ निम्नलिखित हैः–

1. संघ, महासंघ, विशाल समूह
2. अनेक समूहों को मिलाकर बना एक संस्था
3. संयुक्त स्वायत समूह
4. अनेक समूहों से बना एक महासंघ जो एकाधिकार द्वारा संचालित होता है।

फेडरेशन का निर्माण प्रखण्ड स्तर से लेकर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर तक होती है। महिला समाख्या के संदर्भ में यह प्रखण्ड, जिला एवं राज्य स्तर पर होती है। यह फेडरेशन ऐसे समूहों को मिलाकर बनता है जो महिला समाख्या के उद्देश्यों को प्राप्त कर चुकी है। अर्थात महिलायें शिक्षित हो चुकी है। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो चुकी है। महिला कानूनी शिक्षा प्राप्त कर चुकी है। वे आर्थिक रूप से सशक्त हो चुकी है तथा स्थानीय प्रशासन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर चुकी है।

फेडरेशन से जुड़ने हेतु समूहों का मापदण्ड

1. निर्धारित समय, जगह एवं तारीख में कम से कम 90% समूह सदस्य की उपस्थिति बैठक में जरूरी है।
2. प्रत्येक बैठक की विषयवस्तु निर्धारित करना तथा प्रत्येक प्रतिभागी का सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए।
3. बैठक में लिए गए निर्णय एवं विचार विमर्श की मुख्य बातों को रजिस्टर में लिखना तथा सभी प्रतिभागी का हस्ताक्षर लेना।
4. सभी समूह सदस्य हस्ताक्षर कर सकती हो तथा लगभग 90% महिलायें इपिल पत्रिका पढ़ सकती हो।
5. जगजगी एवं महिला शिक्षण केन्द्र में समूह की भागीदारी सुनिश्चित हो।
6. किशोरी मंच एवं ग्राम शिक्षा समिति की बैठक के संबंध में सही जानकारी एवं सहयोग रखती हो।
7. सहयोगिनी के बिना सहयोग के समूह कार्य कर सकती हो।
8. महिला समूह जगजगी केन्द्रों की सामग्री का क्रय एवं सही–सही रख–रखाव कर सकती हो।
9. समूह महिला एवं बालिका हिंसा के विरूद्ध आवाज उठाकर उसका समाधान के लिए पहल कर सकती हो।

10. सामाजिक कुरीतियों जैसे बाल विवाह, बेटा–बेटी में भेदभाव, छुआ–छूत, डायन प्रथा आदि पर रोक लगाती है।
11. महिला एवं बालिका संबंधी कानून की सही जानकारी रखती हो।
12. व्यक्तिगत एवं आस–पास की स्वच्छता पर विशेष ध्यान देती हो।
13. समूह को उप–स्वास्थ्य केन्द्र की सही–सही जानकारी, वहाँ तक पहूँच तथा उसका लाभ उठाती हो।
14. नियमित बचत कर रजिस्टर की सही जानकारी समूह के सभी सदस्य को हो।
15. समूह की अधिक से अधिक महिलाओं का नियमित रूप से बचत एवं लेन–देन करना।
16. समूह बैठक स्थल महिला कुटीर का निर्माण एवं देखभाल समूह की महिलाओं द्वारा करना।
17. सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाओं की सही–सही जानकारी, पहुँच तथा उसका लाभ उठाती हो।
18. पंचायती राज संस्थान की सही जानकारी रखना तथा सक्रिय भागीदारी के साथ लाभ उठाना।
19. सूचना का अधिकार अधिनियम की सही जानकारी तथा उसका लाभ उठाती हो।
20. महिला समूह की हर गतिविधियों में सामूहिक निर्णय को महत्व देना।
21. महिला समाख्या फेडरेशन की सही जानकारी रखना एवं उसे जोड़ना।

समूह से फेडरेशन तक पहुँचने की अवधि

यद्यपि समूह से फेडरेशन तक पहुँचने की कोई निश्चित अवधि सुनिश्चित नहीं है यह समूह की महिलाओं की स्थिति पर निर्भर करता है। फिर भी इसमें लगभग 3 से 5 वर्श का समय लग जाता है। (फेडरेशन बनने के बाद महिला समाख्या उस प्रखण्ड की सारी जिम्मेवारी उस फेडरेशन को सौंप कर उस प्रखण्ड से हट जाती है। जिसे ''फेजआउट करना'' कहा जाता है। लेकिन आवश्यकता पड़ने पर उसे हर संभव तकनीकी सहायता दी जाती है।)

फेडरेशन के सदस्यों का मापदण्ड (गुण)

1. फेडरेशन के विषय पर पूरी जानकारी होनी चाहिए।
2. सदस्यों में ईमानदारी होनी चाहिए।
3. समूह में बोलने तथा अपनी बात रखने की क्षमता एवं सहयोग की भावना हो।
4. निडर, साक्षर, आत्मविश्वासी, सहनशील, कर्मठ मृदूभाशी, चरित्रवान हो एवं किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखती हो।
5. समय के प्रति प्रतिबद्ध हो, एकता बनाने में सक्षम हो, कार्य की पारदर्शिता रखती हो।

6. शारीरिक रूप से स्वास्थ्य हो, निर्णय लेने–देने की क्षमता रखती हो। संगठन को मजबूत बनाने में तत्परता दिखाती हो।
7. महिला कानून एवं अधिकार की पूरी जानकारी रखती हो, नियमों का पालन करती हो, किसी भी सदस्य की बात सुनने की क्षमता हो।
8. नेतृत्व करने की क्षमता हो, स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम हो, एक–दूसरे से मेल मिलाप का भाव रखती हो।

फेडरेशन की आवश्यकता क्यों?

1. महिला समूह मजबूत करने हेतु छः विशयों (शिक्षा, स्वास्थ्य,कानूनी शिक्षा, आर्थिक सशक्तिकरण, पंचायती राज एवं फेडरेशन) पर नियमपूर्वक कार्य करने हेतु।
2. आवश्यकता पड़ने पर अन्य संस्थाओं एवं सरकार से योजनायें लेकर काम करने हेतु।
3. महिला शिक्षण केन्द्र, जगजगी, कैम्प विद्यालय, पालना घर, नारी अदालत व अन्य इसी प्रकार के कार्यक्रम चलाने हेतु।
4. महिला संबंधी मुद्दों का समाधान करने हेतु।
5. स्वतंत्र रूप से कार्य करने हेतु।
6. महिला समाख्या के उद्देश्य को पूर्ण रूप से प्राप्त करने हेतु।
7. प्रखण्ड के ऐसे सभी कार्य जो महिलाओं तथा समाज के हित में हो को अपनी देखरेख में चलाने हेतु।
8. महिला पुरूश में व्याप्त लिंग भेद को दूर करने हेतु।
9. गरीब तथा पिछड़ी महिलाओं को उनका उचित अधिकार दिलाने हेतु।
10. महिला शिक्षा एवं सशक्तिकरण हेतु।
11. महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने हेतु।
12. महिला समाख्या की अनुपस्थिति में प्रखण्ड में इसके कार्यों को सुचारू रूप से चलाने हेतु।

छः बिन्दुओं पर फेडरेशन के उद्देश्य

शिक्षा

1. समूह की सभी महिला साक्षर हो। गाँव के सभी बच्चे स्कूल नियमित जाते हो। किशोरी मंच के सदस्य साक्षर हो।

2. आवश्यकता पड़ने पर महिला शिक्षण केन्द्र, जगजगी, कैम्प विद्यालय एवं पालना घर इत्यादि चलाना। महिलाओं की मांग पर जगजगी केन्द्र चलाना एवं संचालन करना।

3. निरक्षर एवं छीजित महिलाओं एवं किशोरियों को शत–प्रतिशत नामांकन करवाना।

4. विद्यालयों में दिये जानेवाले शिक्षा की निगरानी करना तथा उसके स्तर में सुधार लाना।
5. साक्षरता दर को बढ़ाना।
6. शिक्षा कार्यक्रम की गुणवत्ता बनाये रखना।

स्वास्थ्य

1. स्वास्थ्य संबंधित प्रोफाइल तैयार करना।
2. स्वास्थ्य सेवाओं तक लोगों की पहुँच बनाना, कार्यक्रम की निगरानी करना एवं गुणवत्ता में सुधार लाना।
3. गर्भवती माताओं को निशुल्क जांच, बच्चों का टीकाकरण, किशोरियों को आयरन की गोली दिलवाना।
4. क्षेत्र में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना एवं स्वच्छता के 7 आयामों को लोगों तक पहुँचाना।
5. सरकार तथा अन्य गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा चलाये जा रहे स्वास्थ्य कार्यक्रमों को लोगों तक पहुँचाना।
6. क्षेत्र में होने वाली बीमारियों की रोकथाम में सक्रिय भागीदारी निभाना।
7. पल्स–पोलियो अभियान जैसे कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी करना।
8. स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करना।

कानून

1. नारी अदालत का गठन एवं संचालन करना।
2. प्रताड़ित महिलाओं को अधिकार एवं न्याय दिलवाना।
3. महिलाओं को कानूनी शिक्षा प्रदान करना।
4. महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता बनाना।

आर्थिक सशक्तिकरण

1. क्षेत्र की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने हेतु आर्थिक स्वरोजगार से जोड़ना।

2. महिलाओं को व्यवसायिक प्रशिक्षण दिलाना।

3. सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा आर्थिक स्वरोजगार हेतु चलाये जा रहे कार्यक्रमों को महिलाओं तक पहुँचाना।

स्थानीय प्रशासन में भागीदारी/पंचायती राज

1. ग्राम सभा के बैठक में महिलाओं को सम्पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करना।

2. पंचायत चुनाव में विभिन्न पदों पर महिला उम्मीदवार खड़ा करना तथा उन्हें जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना।

फेडरेशन

1. नये महिलाओं को फेडरेशन से जोड़ना तथा फेडरेशन के बारे में पुर्ण जानकारी उपलब्ध कराना।

फेडरेशन के अन्य प्रमुख उद्देश्यः

- महिला समूह की महिला सदस्यों के सशक्तिकरण हेतु सदस्यों की भूमिका सुनिश्चित करना।
- समूह की अपनी स्वतंत्र पहचान बनाना।
- महिला हिंसा एवं समाज में कुरीतियों से लड़ने हेतु वातावरण तैयार करना एवं लोगों को जागरूक बनाना।
- लैंगिक भेदभाव रहित समाज का निर्माण करना।
- महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन हेतु स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना।
- महिलाओं और किशोरियों को शोशण और सामाजिक कुप्रथा के खिलाफ जागरूक करना।
- स्थानीय प्रशासन/पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की सकारात्मक भागीदारी सुनिश्चित करना।
- सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा चलाये जा रहे महिलाओं तथा समाज कल्यान हेतु चलाये जा रहे अन्य कार्यक्रमों तक पहुँच बनाना तथा उनके कार्यक्रमों को अपने प्रखण्ड में संचालित करना।
- बालिका एवं महिला शिक्षा पर विशेश ध्यान देना।
- सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाओं से जुड़ाव स्थापित करना।
- समूह की सकारात्मक भागीदारी द्वारा क्षेत्र में चलाये जा रहे सरकारी योजनाओं की लक्षित समूह तक पहुँच दिलाना एवं गुणवत्ता में वृद्धि करना।
- शिक्षण संस्थाओं का संचालन एवं देख–रेख करना।
- सार्वजनिक सम्पति की रक्षा करना।

- सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करना एवं महिलाओं के लिए भयमुक्त समाज का निर्माण करना।
- प्रखण्ड स्तरीय कार्यों में बिचौलियों की भागीदारी समाप्त कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना।

फेडरेशन की संरचना

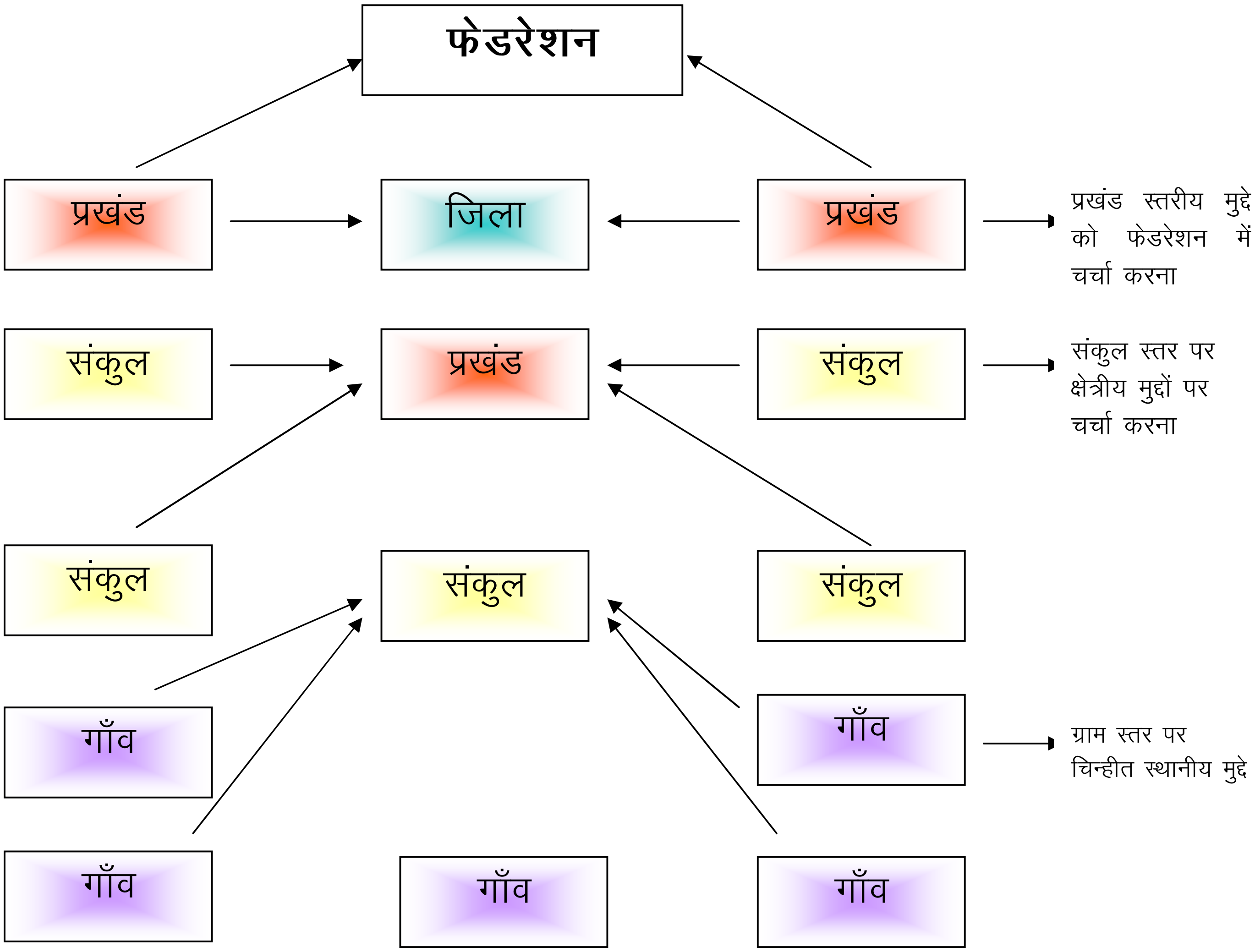

फेडरेशन के सदस्यों का चुनाव

फेडरेशन बनने के बाद उसका पंजीकरण सोसाईटी रजिस्ट्रेशन एक्ट–1860 या ट्रस्ट एक्ट–1886 के अन्तर्गत जिला या प्रखण्ड स्तर पर किया जाता है। जिसके लिए सदस्यों का चुनाव निम्नवत होती है।

1. प्रत्येक गाँव से चुनी गई फेडरेशन के लिए सदस्य आधी संकुल में जायगी और आधी गांव में रहेगी जैसे 2 है तो 1 संकुल में जाएगी और 1 गांव में रहेगी।

2. प्रत्येक गांव से संकुल में सदसय जाएगी फिर संकुल से आधी सदस्य प्रखण्ड में जाएगी और आधी संकुल में ही रहेगी। प्रखण्ड में जानेवाले सदस्य प्रखण्ड कमिटि बनायेगी जिसका चुनाव मतदान द्वारा या प्रस्ताव समर्थन द्वारा किया जा सकता है।

3. फिर प्रखण्डों से आधी चुनी गई सदस्य जिला स्तरीय कमिटि बनायेगी। इसका चुनाव भी चुनाव या प्रस्ताव समर्थन द्वारा किया जा सकता है। सहयोगिनी यदि सदस्यता शुल्क देती है तो उसे भी वोट देने का अधिकार होता है।

इन्हीं चुने हुए सदस्यों द्वारा कार्यकारिणी समिति का गठन होता है। यदि पंजीकरण प्रखण्ड स्तरीय कराना है तो प्रखण्ड स्तरीय कमिटि से कार्यकारिणी समिति के सदस्य चुने जाते हैं और यदि जिला स्तर पर कराना हो तो जिला स्तरीय कमिटि द्वारा चुना जाता है।

कार्यकारिणी समिति में कम से कम 7 तथा अधिक से अधिक 11 सदस्य होंगे। जिसमें
अध्यक्ष – 1
सचिव – 1
कोशाध्यक्ष – 1 तथा शेश कार्यकारिणी सदस्य होंगे
या
अध्यक्ष – 1
उपाध्यक्ष – 1
सचिव – 1
उप सचिव – 1
कोशाध्यक्ष – 1
सह–कोशाध्यक्ष – 1
तथा शेश कार्यकारिणी सदस्य होंगे।

इन कार्यकारिणी सदस्यों के साथ एक नियमावली पुस्तिका (बाईलावज) तैयार किया जाता है। जिसमें फेडरेशन का एक नाम रखा जाता है। फिर इसे पंजीयन कार्यालय में पंजीकृत कराया जाता है।

फेडरेशन का पंजीकरण निम्नलिखित एक्ट के अन्तर्गत होता हैः–

1. सोसाईटी रजिस्ट्रेशन एक्ट – 1860
2. ट्रस्ट एक्ट – 1886

पंजीकरण के उपरांत फेडरेशन एक स्वतंत्र इकाई के रूप में एक गैर सरकारी संस्था के रूप में अस्तित्व में आ जाती है।

कार्यकारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य

अध्यक्ष –

1. संस्था के बैठक की अध्यक्षता करना। (आमसभा एवं कार्यकारिणी)
2. विशेश परिस्थितियों में आमसभा एवं कार्यकारिणी की बैठक बुलाना।
3. कार्य संबंधी सभी कागजातों को कभी भी अवलोकन का अधिकार।
4. नीतिगत मामलों में अध्यक्ष का हस्ताक्षर अनिवार्य है।

उपाध्यक्ष –

1. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके सभी कार्यों का निर्वाह करना। (नीतिगत मामलों को छोड़कर)
2. अध्यक्ष के सभी कार्यों में सहयोग देना।

सचिव –

1. प्रतिदिन के कार्यों को करने एवं करवाने की जिम्मेवारी।
2. बैठक बुलाना। (नियमित/आकस्मिक)
3. लेखा–जोखा रखना या रखवाना।
4. आमसभा में पारित सभी कार्यों का सम्पादन करने की जिम्मेवारी।
5. पत्राचार करना।
6. सम्पति का निश्पादन एवं क्रय विक्रय सचिव के हस्ताक्षर से होगा।
7. एकरारनामा पर हस्ताक्षर करना।
8. अर्थ (धन) की व्यवस्था करना।
9. संस्था में हुए प्राप्तियों को खर्च के बाद प्रत्येक समूह में बराबर बांटने की जिम्मेवारी (संघ के सदस्य आपस में नहीं बांट सकते हैं)
10. संस्था को सक्रिय एवं व्यवस्थित बनाये रखना।
11. कार्यकर्ता की नियुक्ति करना, वेतन देना तथा संपुश्टि समिति से लेना।
12. वार्शिक बजट बनाना।
13. संस्था का वार्शिक रिपोर्ट तैयार करना तथा अंकेक्षण कराना।
14. संस्था के सभी कागजातों पर सचिव का हस्ताक्षर अनिवार्य है।
15. सभी कानूनी दायित्वों को पुरा करना।

सह सचिव –

1. सचिव के सभी कार्यों में सहयोग करना
2. सचिव की अनुपस्थिति में उनके सभी कार्यों का सम्पादन करना (नीतिगत एवं आर्थिक मामलों को छोड़कर)

कोशाध्यक्ष –

1. पैसे के लेन–देन की जिम्मेवारी।
2. लेखा–जोखा रखना (रिपोर्ट तैयार करना)
3. आय–व्यय का व्योरा रखना।
4. ऑडिट कराना।
5. लेखा संबंधी रिपोर्ट तैयार करना।
6. क्रय–विक्रय की जिम्मेवारी।
7. संस्था के हुए आय को प्रत्येक समूह तक पहुँचाने की जिम्मेवारी।
8. लेखा संबंधी सभी प्रकार की जानकारी आम–सभा को समय–समय पर देने की जिम्मेवारी।

सह–कोशाध्यक्ष –

1. कोशाध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके कार्यों का सम्पादन करना।
2. कोशाध्यक्ष के कार्यों में सहयोग देना।

सदस्य

1. उपर्युक्त सभी कार्यों के सहयोग करना।
2. निर्णय प्रक्रिया में बराबर का अधिकार।
3. सभी प्रकार के कार्यों की निगरानी करना।
4. समय–समय पर संस्था द्वारा दिये गये दायित्वों का पालन करना।
5. बुलाये गये बैठक में भाग लेना।

6. मतदान देने का अधिकार।

फेडरेशन के नियम

फेडरेशन के कार्य करने के नियम निम्नलिखित हैः–

1. आम सभा की बैठक नियमित रूप से प्रतिमाह करना।
2. बैठक में सभी कार्यकारिणी सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।
3. बैठक के लिए दिन, समय तथा तिथि निर्धारित करना।
4. कार्यवाही पुस्तिका में बैठक की चर्चा को लिखना एवं सभी प्रतिभागियों का हस्ताक्षर लेना।
5. सरकारी प्रोजेक्ट को लेकर समय पर पुरा करना।
6. लगातार तीन बैठकों तक बगैर जानकारी दिये अनुपस्थित रहने पर उसकी सदस्यता स्वतः समाप्त हो जायेगी।
7. सदस्यता शुल्क लेकर नये सदस्य जोड़ना।
8. गलती करने पर सदस्य को आम सभा से निश्काशित किया जा सकता है।
9. सदस्यता शुल्क की प्राप्ती रसीद देना अनिवार्य होगा।
10. सदस्यता शुल्क नहीं देने पर विलम्ब शुल्क या दण्ड लगाया जा सकता है।
11. जमा किये गये सदस्यतः शुल्क प्रत्येक गाँव की आधी रकम प्रत्येक स्तर जैसे गाँव, संकुल, प्रखण्ड एवं जिला में जमा करना है।
12. खाता संचालन नियमित एवं ठीक ढंग से करना।
13. यदि कोई सदस्य फेडरेशन के तहत् नियमों का उलंघन करती है तो ⅓ (एक तिहाई) भाग मतदान द्वारा उसे हटाया जा सकता है।
14. ग्राम सभा में कार्यकारिणी की अनुपस्थिति में त्याग पत्र स्वीकृत नहीं मानी जायगी।
15. यदि कोई सदस्य त्याग पत्र देना चाहता है तो कार्यकारिणी समिति द्वारा स्वीकृति के 15 दिनों के अन्दर शुल्क के साथ त्याग पत्र दे सकता है।
16. आम सभा में कम से कम 11 सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होगी।

17. तीन माह पर या आवश्यकता पड़ने पर कार्यकारिणी समिति की बैठक बुलाई जा सकती है।
18. प्रतिमाह आय–व्यय का हिसाब कार्यकारिणी समिति को तथा 3 माह पर आम सभा में देना होगा।
19. कार्यकारिणी की बैठक में कोई निर्णय/प्रस्ताव को पारित करने हेतु ⅔ (दो तिहाई) सदस्यों की सहमति अनिवार्य होगी।
20. आम सभा में सदस्यों को अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता होगी।
21. सदस्यों को आय–व्यय का ब्योरा लेने का अधिकार होगा।
22. सभी स्तर पर होनेवाले कार्यों की समीक्षा करना, फेडरेशन सदस्यों का अधिकार होगा।
23. विकास संबंधी कार्यों की समीक्षा एवं मूल्यांकन का अधिकार भी फेडरेशन सदस्यों का अधिकार होगा।
24. संकुल स्तर के प्रतिनिधि आम सभा के प्रतिनिधि बन सकते हैं।
25. कार्यकारिणी सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्शों का होगा। इसके उपरान्त नवीनीकरण किया जा सकता है या उनके कार्य संतोशजनक नहीं होने पर 3 वर्श से पहले भी उसके स्थान पर नये सदस्यों को कार्यकारिणी समिति की बैठक में प्रस्ताव पारित कर रखा जा सकता है।
26. समूह के नियमों के आधार पर प्रखण्ड या जिलों में नीति बनायी जा सकती है।
27. समूह की माँग पर योजाओं में परिवर्त्तन या नई योजनाएं बनायी जायेगी।
28. फेडरेशन का सभी कार्य समूह के हित में होनी चाहिए।

फेडरेशन के आय के स्रोत

फेडरेशन के आय के स्रोत निम्नलिखित हैः–

1. समूह के सदस्यों से प्राप्त सदस्यता शुल्क।
2. सदस्यों से प्राप्त चन्दा (आवश्यकतानुसार)
3. व्यक्ति विशेश से प्राप्त सहयोग या अनुदान की राशि।
4. सरकारी एवं गैर–सरकारी संस्थाओं से प्राप्त सहयोग या अनुदान की राशि।
5. विभिन्न योजनाओं को पूरा करने पर प्राप्त आय।

6. नरेगा संबंधी कार्यों का ठेका से प्राप्त आय।
7. TSC के कार्यों को करने से प्राप्त आय।
8. महिला समाख्या द्वारा प्राप्त अनुदान की राशि।
9. बैंक से प्राप्त लोन।
10. अन्य सरकारी, गैर–सरकारी एवं प्रखण्ड कार्यालय की ओर से प्राप्त प्रोजेक्ट से अर्जित धन राशि।

फेडरेशन को चलाने हेतु आवश्यक बातें

फेडरेशन को चलाने हेतु आवश्यक बातें निम्नलिखित हैः–

1. फेडरेशन कार्यालय हेतु भवन एवं कार्यालय कर्मी।
2. फेडरेशन को चलाने हेतु निर्मित नियमावली।
3. बैठक के लिए आवश्यक सामग्री एवं स्थान।
4. विभिन्न प्रकार के रजिस्टर।
5. छः विशयों पर प्रशिक्षण की व्यवस्था।
6. बैंक खाता (फेडरेशन के नाम पर)।
7. फेडरेशन का शुल्क, अनुदान एवं सहयोग राशि हेतु रसीद।
8. लेखा–जोखा रखने हेतु आवश्यक सामग्री।